//कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला झाबुआ (म.प्र.)//

क्रमांक/ 975 /लेखा/2020 झाबुआ, दिनांक 2 /11/2020

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार (IT)(SA)
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश
ज ब ल पु र

विषय :- आपराधिक प्रकरण में जप्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी के संबंध मे नीलामी विज्ञापन को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबद्।

संदर्भ :- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक डी/4254/(III-2-9/40Pt. VF.NO.II-D झाबुआ) जबलपुर दिनांक 23.10.2020

---::---

उपरोक्त विष्यान्तर्गत निवेदन है कि, रजिस्ट्री के संदर्भित ज्ञापन के पालन में इस स्थापना पर संलग्न विज्ञप्ति अनुसार वाहनों को नीलाम किया जाना है।

उक्त वाहन की नीलामी कार्यवाही दिनांक 03/12/2020 को संपादित किये जाने हेतु नीलामी विज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

Rajesh K Gupta 2/11/2020
(राजेश कुमार गुप्ता)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
झाबुआ (म.प्र.)

//कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ (म०प्र०)//

नीलाम विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय झाबुआ एवं तहसील न्यायालय थांदला/पेटलावद पर आपराधिक प्रकरणों में निम्नानुसार जप्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी (जहां है, जैसी स्थिति में है) दिनांक 03.12.2020 को प्रातः 11:30 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है ।

नीलामी किये जाने वाले वाहनों की सूची निम्नानुसार है :-

क्रं.	वाहन का प्रकार	वाहन कमांक	मॉडल वर्ष	निष्प्रयोजित राशि	वाहन का नीलाम स्थान
1	2	3	4	5	6
मालखाना अनुभाग न्यायालय झाबुआ					
1	मोटरसायकल स्प्लेण्डर	एमपी. 45-बीए-6955	-	3000.00	**जिला न्यायालय झाबुआ**
2	मोटरसायकल राजदूत	एमपी. 11-बी-3072	-	3000.00	
3	यामाहा मैक्स	जी.जे.-20-डी-211	-	3000.00	
4	इंडिका कार नीले रंग की	एमपी. 42-सी-0405	-	4000.00	
5	मोटर सायकल सुजूकी	एमपी. 45-बीए-3215	-	2000.00	
6	मोटरसायकल राजदूत	एमपी. 11-बी-5099	-	2500.00	
7	मोटरसायकल	एमपी. 11-बी-1863	-	3000.00	
8	मोटरसायकल राजदूत	बिना नंबर की	-	2500.00	
9	मोटरसायकल	जी.जे.-5-ए.एल.-3926	-	2000.00	
10	इंडिका कार सफेद रंग की	जीजे-4-डी-7160	-	15000.00	
मालखाना अनुभाग न्यायालय पेटलावद					
11	स्कूटर	बिना नंबर का	-	1000.00	**तहसील न्यायालय पेटलावद**
12	के. बजाज चेंपियन	एम. 14-जे. 3115	-	1500.00	
13	मोटरसायकल राजदूत	एम.पी.11-बी-4192	-	1500.00	
14	मोपेड मोटरसायकल	एम.पी. 45-बी-0163	-	1000.00	
15	मोटरसायकल	एम.पी. 45-बी-2484	-	500.00	
16	मोटरसायकल हीरो होण्डा	बिना नंबर की	-	15000.00	
17	मोटरसायकल राजदूत	एमपी-14-बी-5462	-	2000.00	
मालखाना अनुभाग न्यायालय थांदला					
18	मोटर सायकल बुलेट	एमपीएफ-2463	-	1500.00	**तहसील न्यायालय थांदला**
19	मोटरसायकल राजदूत	एम.क्यू.यू-7237	-	2000.00	

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के नाम से देय राशि रूपये 1000.00 (अक्षरी रूपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है नीलामी संबंधी शेष नियम व शर्तो की

जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ/ तहसील न्यायालय थांदला/पेटलावद से प्राप्त की जा सकती है एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाइट (www.mphighcourt.nic.in) पर भी देखी जा सकती है।

उक्त वाहनों की नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्ते निम्नानुसार है :-

-::निविदा की शर्ते::-

1- उक्त जप्त वाहनों का न्यूनतम अपलेखन मूल्य कॉलम नंबर-05 में दर्शित राशि अनुसार (शासकीय बोली) नियत है।

2- उपरोक्त जप्त वाहनों की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में रूपये 1000.00 (अक्षरी रूपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।

3- अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

4- सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/अस्वीकृति का संपूर्ण अधिकार सर्वथा वाहन नीलामी समिति कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय झाबुआ को प्राप्त होगा।

5- नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

6- अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी जप्त वाहन को केता को प्रदान किया जावेगा।

7- अनुपयोगी जप्त वाहन को अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 7 (सात) दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि ऑनलाईन अथवा नजारत अनुभाग, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के माध्यम से जमा कराकर, वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि, शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

8- संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु जिला न्यायालय परिसर झाबुआ एवं तहसील न्यायालय थांदला/पेटलावद में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर झाबुआ/ नायब नाजिर थांदला/पेटलावद से संपर्क करें ।

9- बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को कय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।

10- अनुपयोगी जप्त वाहनों को कय करने के पश्चात् केता को उक्त वाहनों को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय झाबुआ/तहसील न्यायालय थांदला/पेटलावद से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।

11- अनुपयोगी जप्त वाहन विकय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर उक्त जप्त वाहनों का नियमानुसार पंजीयन विलोपित करने एवं केता के नाम से रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी केता की होगी।

12- वाहन कमांक, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति कय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।

13- उपरोक्त नियमों की शर्तो का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन निलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

02/11/2020

अध्यक्ष

वाहन नीलामी समिति,

वास्ते-कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

झाबुआ (म.प्र.)

//कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ (म० प्र०)//

क्रमांक ......976......./2020 झाबुआ, दिनांक ..2/11......../2020

नीलाम विज्ञप्ति

जिला न्यायालय झाबुआ पर आपराधिक प्रकरणों में निम्नानुसार जप्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 03.12.2020 को प्रातः 11:30 बजे खुली निविदा के माध्यम से (जहां है, जैसी स्थिति में है) नीलाम किया जाना है ।

नीलामी किये जाने वाले वाहनों की सूची निम्नानुसार है :-

क्रं.	वाहन का प्रकार	वाहन कमांक	मॉडल वर्ष	निष्प्रयोजित राशि	वाहन का नीलाम स्थान
1	2	3	4	5	6
		मालखाना अनुभाग न्यायालय झाबुआ			
1	मोटरसायकल स्प्लेण्डर	एमपी. 45-बीए-6955	-	3000.00	जिला न्यायालय झाबुआ
2	मोटरसायकल राजदूत	एमपी. 11-बी-3072	-	3000.00	
3	यामाहा मैक्स	जी.जे.-20-डी-211	-	3000.00	
4	इंडिका कार नीले रंग की	एमपी. 42-सी-0405	-	4000.00	
5	मोटर सायकल सुजूकी	एमपी. 45-बीए-3215	-	2000.00	
6	मोटरसायकल राजदूत	एमपी. 11-बी-5099		2500.00	
7	मोटरसायकल	एमपी. 11-बी-1863	-	3000.00	
8	मोटरसायकल राजदूत	बिना नंबर की	-	2500.00	
9	मोटरसायकल	जी.जे.-5-ए.एल.-3926	-	2000.00	
10	इंडिका कार सफेद रंग की	जीजे-4-डी-7160	-	15000.00	
		मालखाना अनुभाग न्यायालय पेटलावद			
11	स्कूटर	बिना नंबर का	-	1000.00	तहसील न्यायालय पेटलावद
12	के. बजाज चेंपियन	एम. 14-जे. 3115	-	1500.00	
13	मोटरसायकल राजदूत	एम.पी.11-बी-4192	-	1500.00	
14	मोपेड मोटरसायकल	एम.पी. 45-बी-0163	-	1000.00	
15	मोटरसायकल	एम.पी. 45-बी-2484	-	500.00	
16	मोटरसायकल हीरो होण्डा	बिना नंबर की	-	15000.00	
17	मोटरसायकल राजदूत	एमपी-14-बी-5462	-	2000.00	
		मालखाना अनुभाग न्यायालय थांदला			
18	मोटर सायकल बुलेट	एमपीएफ-2463	-	1500.00	तहसील न्यायालय थांदला
19	मोटरसायकल राजदूत	एम.क्यू.यू-7237	-	2000.00	

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ के नाम से देय राशि रूपये 1000.00 (एक हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर नीलामी में भाग लिया जा सकता है । नीलामी संबंधी शेष नियम व शर्तो की जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है ।

02/11/2020

अध्यक्ष

वाहन नीलामी समिति,

वास्ते-कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश

झाबुआ (म.प्र.)